भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-313

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कृषि फीडरों की स्थिति

313. श्रीमती रंजीत रंजनः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ऐसे कृषि फीडरों की राज्य-वार संख्या क्या है जिनका मूल रूप से मूल्यांकन, स्वीकृति और वास्तव में पृथक्करण किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने अकृषक ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घंटों पर अपूर्ण फीडर पृथक्करण के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) उन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कार्य आवंटन में निर्धारित समय-सीमा से 12 महीने और 24 महीने अधिक हो गया; और

(घ) उन मामलों की संख्या कितनी है जहां अनिवार्य पूर्व शर्तों, जैसे कि समझौतों और राज्य अंशदान, की पूर्ति से पहले धनराशी जारी कर दी गई थी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में 43,033 करोड़ रुपये के व्यय के साथ डीडीयूजीजेवाई शुरू की थी, जिसमें 33,453 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल थी। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना को मज़बूत करना और बढ़ाना, कृषि और गैर-कृषि फीडर को अलग करना और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण करना था।

डीडीयूजीजेवाई स्कीम के तहत पहचाने गए और अलग किए गए फीडरों का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य	संस्तुति	उपलब्धि
1	बिहार	698	698

2	छत्तीसगढ	356	205
3	गुजरात	45	0
4	हरियाणा	35	35
5	हिमाचल प्रदेश	5	5
6	जम्मू एवं कश्मीर	151	34
7	झारखंड	409	409
8	कर्नाटक	927	927
9	मध्य प्रदेश	1284	873
10	महाराष्ट्र	1077	583
11	ओडिशा	89	89
12	पंजाब	76	76
13	राजस्थान	2131	1458
14	तमिलनाडु	29	29
15	उत्तर प्रदेश	1891	1891
16	उत्तराखंड	44	44
17	पश्चिम बंगाल	585	477
कुल		**9832**	**7833**

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(ख) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम का एक बड़ा प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया, जिसमें सभी राज्यों और ज़्यादातर संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला कि डीडीयूजीजेवाई के बाद गांवों में विद्युत आपूर्ति के घंटों में लगभग 39% का सुधार हुआ है। इसके अलावा, इस सर्वेक्षण में शामिल 100% गांवों और उपभोक्ताओं ने आपूर्ति के घंटों में सुधार की बात कही है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के तहत 33 राज्यों में कुल 673 परियोजनाएं संस्तुत की गई, जिनमें से 154 परियोजनाओं में काम शुरू होने में तय समय सीमा से 12 महीने से ज़्यादा और 24 परियोजनाएं में 24 महीने से ज़्यादा की देरी हुई, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**12 महीने से ज़्यादा विलंब वाली परियोजनाएं**	**24 महीने से ज़्यादा विलंब वाली परियोजनाएं**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1
2	असम	0	8
3	बिहार	2	0
4	छत्तीसगढ़	2	0
5	गोवा	2	0
6	हरियाणा	7	0

7	हिमाचल प्रदेश	10	1
8	जम्मू और कश्मीर	0	13
9	झारखंड	24	0
10	कर्नाटक	23	0
11	मध्य प्रदेश	26	1
12	महाराष्ट्र	27	0
13	मिजोरम	1	0
14	पंजाब	20	0
15	तेलंगाना	1	0
16	उत्तर प्रदेश	9	0
कुल योग		**154**	**24**

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(घ) : भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, डीडीयूजीजेवाई को वर्ष 2014-15 के अंत में इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि स्कीम को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। इसी वर्ष इस स्कीम के लिए बजट भी आवंटित किया गया था। इस स्कीम को समय पर शुरू करने में मदद करने के लिए, यह तय किया गया कि उन राज्यों के निधि जारी करने की मांगों पर विचार किया जाएगा, जिनकी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार थी, इस विश्वास के साथ कि वे तय समय के अंदर और अगली किस्त जारी होने से पहले माइलस्टोन और शर्तों का पालन करेंगे।

इसलिए, एक अपवाद के तौर पर, सक्षम अधिकारियों की मंज़ूरी से 6 राज्यों अर्थात् गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विद्युत यूटिलिटी को 541 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई थी।

****